

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**  
पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस० )

वाद सं० :- 755 सन 2019

अनवान :-

1. दलीप कुमार 2. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामकोरी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर
3. समेस्ता पुत्री रामजीलाल पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी डाबडी छोटी तहसील तारानगर जिला चुरू
4. विधा देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासे मेहलिया तहसील तारानगर जिला चुरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 14/08/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 130/86 की कुल 2.7830 हेक्टर भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।


उक्त भूमि वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी की माता वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने/भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 3, 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के हक हिस्सा की भूमि वादी के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उनकी माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि को सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 की माता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 5 जो वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 जो वादी के भाई/माता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयो के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 130/86 की कुल 2.7830 हेक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी की माता वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई थी सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है

प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादी की बहने/भाई है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्र/पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 वादी की माता है प्रतिवादी संख्या 3, 4 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादीगण का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायायिक दृष्टान्त आर.आर.

डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चरपा होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 130/86 की कुल 2.7830 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वादी के माता प्रतिवादी संख्या 1 ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पति की आय से वाद भूमि वादी के माता के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनकी माता नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पति भी पैतृक सम्पति की श्रेणी में होगी पैतृक सम्पति होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पैरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 130/86 की कुल 2.7830 हैक् भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धेषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपसुपुष उषिकरी (राजस्व)  
नोहर (रोहनुमानगढ)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. दलीप कुमार 2. सुरेश कुमार पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. रामकोरी पत्नी- रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहनलाल पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी ढाणी अराईयान तहसील नोहर
3. समेस्ता पुत्री रामजीलाल पत्नि मदनलाल जाति जाट निवासी डाबडी छोटी तहसील तारानगर जिला चुरू
4. विधा देवी पुत्री रामजीलाल पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासे मेहलिया तहसील तारानगर जिला चुरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 755 सन 2019 निर्णय दिनांक-14/08/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 30 एनटीआर के खाता संख्या 130/86 की कुल 2.7830 हैक्ठर भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार धेषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14/08/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )